राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक प.23(17) परि/प्र.नि./योजना/2017/पार्ट–I/23346 जयपुर, दिनांक 12/9/18

परिवहन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प.23(01) परि/प्र.नि/योजना/2017 दिनांक 04.10.2017 के द्वारा राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना (ऑनलाईन) –2017 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

2.<u>प्रदूषण जांच केन्द्र हेतु पात्रताएं:–</u>

(i) प्रदूषण जांच केन्द्रों के रूप में निम्नांकित श्रेणी की कोई भी ऐजेन्सी वर्णित शर्तो की पूर्ति के उपरान्त अधिकृत होगी:–

(प) परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत बॉडी बिल्डर/गैराज।

24 शर्तें:–

(xxii) मोबाईल प्रदूषण जांच केन्द्र का कार्य क्षेत्र प्राधिकृत अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी) के क्षेत्राधिकार में वाहन स्वामी स्वंय का तहसील क्षेत्र या स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी) द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में निर्धारित स्थान/क्षेत्र होगा। मोबाईल प्रदूषण जांच केन्द्र का वाहन प्राधिकृत अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी) द्वारा निर्धारित क्षेत्र से बाहर वाहनों के प्रदूषण जांच का कार्य नहीं कर सकेगा तथा क्षेत्राधिकार से बहार प्रदूषण जांच कर जारी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वैध नहीं होगें तथा ऐसे केन्द्रों का प्राधिकार पत्र निलम्बित अथवा निरस्त किया जायेगा।

मोबाईल प्रदूषण जांच केन्द्र के वाहन पर जी.पी.एस. लगाया जाना अनिवार्य होगा। यह जी.पी.एस. परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लगवाया जायेगा। इन वाहनों की मोनिटरिंग विभाग द्वारा जी.पी.एस. के माध्यम से की जायेगी। प्रदूषण जांच मोबाईल वाहन का स्थान/कार्यक्षेत्र निर्धारित करने हेतु जी.

पी.एस. के माध्यम से geo-fencing भी सुनिश्चित की जायेगी जिसकी मॉनिटिरिंग एवं Database handling रील द्वारा की जायेगी।

(xxiii) मोबाइल प्रदूषण जांच केंद्र किसी भी पेट्रोल पंप/वाहन निर्माता वर्कशॉप आदि पर स्थित अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र के पास नगरीय क्षेत्र में 2 किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5 किलोमीटर की परिधि में प्रदूषण जांच का कार्य नहीं कर सकेगा। क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी किए गए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे तथा ऐसे केंद्रों का प्राधिकार पत्र निलम्बित अथवा निरस्त किया जाएगा।

(xxx) वाहनों की नियमित प्रदूषण जांच के प्रति आमजन को जागरुक करने, आधारभूत संरचना विकास व प्रदूषण जांच से संबंधित अन्य कार्यों हेतु अलग फण्ड का गठन किया जायेगा। इस फण्ड में प्रति प्रमाण पत्र 50 पैसे की राशि समाहित होगी। इस फण्ड का उपयोग विभाग द्वारा इस संबंध में गठित समिति के माध्यम से किया जा सकेगा।

(राजेश यादव)
शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प.23(01)परि/प्र.नि./योजना/2017/44596 जयपुर, दिनांकः–04/10/17

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115(7) के अंतर्गत प्रदूषण नियत्रंण प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। इन प्रमाण पत्रों को जारी किए जाने हेतु परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न प्रदूषण जांच केन्द्रों को अधिकृत किया गया है। वाहन जनित प्रदूषण पर नियत्रंण एवं प्रदूषण जांच केन्द्रों द्वारा किए जा रहे कार्यों में एकरुपता एवं पारदर्शिता के उद्देश्य हेतु प्रदूषण जांच केन्द्रों को नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़े जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित कर रोजगार के साधन उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान भी रखा गया है।

इस योजना में आर्मी वाहनों के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार के वाहनों को ऑनलाईन प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है। आर्मी वाहनों को ऑफलाईन प्रमाण पत्र जारी किये जा सकेंगे।

अतः वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं प्रदूषण जांच केन्द्रों को प्राधिकृत करने एवं उनके कार्य संचालन की प्रक्रिया निधारित करने तथा इस योजना को रोजगार उन्मुख बनाने के प्रयोजनार्थ इस सम्बन्ध में जारी पूर्व सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा निम्नलिखित योजना बनाती है:–

राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना
(ऑनलाईन)– 2017

1. परिभाषाएं :–

इस योजना में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(i) "अधिनियम" से तात्पर्य मोटरयान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का अधिनियम संख्या 59) से है,

(ii) "नियम" से तात्पर्य केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 से है,

(iii) "विभाग" से तात्पर्य परिवहन विभाग से है।

(iv) "योजना" से तात्पर्य राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना – 2017 से है।

All-4/10/17

(v) "प्ररूप" से तात्पर्य इस योजना के संलग्न प्ररूप से है,

(vi) "प्रदूषण जांच केन्द्र" से तात्पर्य इस योजना के अधीन जिला परिवहन अधिकारी द्वारा अधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र से है, जिसमें मोबाइल प्रदूषण जांच केन्द्र भी सम्मिलित है।

(vii) "प्रमाण–पत्र" से तात्पर्य प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा मोटरयान स्वामी को नियम 115 के उपनियम (7) के अंतर्गत जारी प्रदूषण नियत्रंण प्रमाण–पत्र से है।

(viii) "प्राधिकार–पत्र" से तात्पर्य प्रदूषण जांच केन्द्र को मोटरयानों के प्रदूषण स्तर की जांच के संबंध में प्राधिकृत करने के लिये जारी किये गये प्राधिकार–पत्र से है,

(ix) "प्राधिकृत अधिकारी" से तात्पर्य जिले के जिला परिवहन अधिकारी से है, और जहां एक से अधिक जिला परिवहन अधिकारी नियुक्त है वहां प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजनार्थ मनोनीत जिला परिवहन अधिकारी से है।

(x) "REIL" से तात्पर्य Rajasthan Electronics and Instruments Limited, 2–कनकपुरा इन्डस्ट्रीयल एरिया, सिरसी रोड़, जयपुर है।

(xi) "डीलर" से अभिप्राय विभाग द्वारा अधिकृत ऐसे ट्रेड सर्टिफिकेट होल्डर से है जहां पर वाहन निर्माता वर्कशॉप का अधिकृत सर्विस सेन्टर भी उपलब्ध हो परन्तु इसमें सब–डीलर, वाहन बॉडी निर्माता एवं फाईनेंन्सर सम्मिलित नहीं है।

2. प्रदूषण जांच केन्द्र हेतु पात्रताएं:–

(i) प्रदूषण जांच केन्द्रों के रुप में निम्नांकित श्रेणी की कोई भी ऐजेन्सी वर्णित शर्तों की पूर्ति के उपरान्त अधिकृत होगी :–

(क) पेट्रोल पम्प,

(ख) अधिकृत वाहन डीलर,

(ग) वाहन निर्माता कम्पनी का अधिकृत वर्कशॉप,

(घ) प्रदूषण जांच उपकरण निर्माता कम्पनी, जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, या उसके द्वारा अधिकृत संस्था से अनुमोदित हो, का अधिकृत एजेन्ट या डीलर।

(ड़) प्रदूषण जांच उपकरण फिटेड मोटर यान के स्वामी।

(च) मैकेनिकल/ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्रीधारक बेरोजगार व्यक्ति को मोबाईल प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित करने पर प्राथमिकता दी जायेगी।

(छ) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वर्कशॉप।

(ज) IL & FS फिटनेस सेन्टर, अजमेर।

(झ) IDTR फिटनेस सेन्टर, रेलमगरा।

(ञ) सेना के EME workshop।

(ii) अधिकृत ऐजेन्सी द्वारा पूर्ण की जाने वाली शर्तें –

(अ) योजना के क्लॉज 2(i) में क से झ तक वर्णित एजेन्सियों द्वारा संचालित प्रदूषण जांच केन्द्रों को चलाने के लिए उसके कर्मचारी के पास न्यूनतम "मैट्रिक/दसवीं पास" का प्रमाण पत्र या समतुल्य अर्हता एवं कम्प्यूटर चलाने का सामान्य ज्ञान तथा REIL द्वारा प्रशिक्षित होने पर उक्त एजेन्सियों को अधिकृत किया जा सकेगा।

(ब) आवेदक एजेन्सी को केन्द्रीय मोटर यान नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में मोटर यान से उत्सर्जित होने वाले धुंए और गैस की जांच के लिए स्मोक मीटर (कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर सहित) मय RPM Sensor एवं Oil Temprature Sensor, गैस एनलाईजर (कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर सहित) मय Oxygen Sensor उपलब्ध होना।

(स) यानों की ट्यूनिंग के लिये आवश्यक उपकरण उपलब्ध होना।

(द) प्रदूषण जांच केन्द्रों पर ऑनलाईन प्रदूषण नियत्रंण प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु इन्टरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है। इस हेतु आवेदक एजेन्सी पर ऑनलाईन प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिए पर्याप्त internet connectivity आवश्यक होगी।

3. प्राधिकार पत्र हेतु निर्धारित प्रक्रिया –

(i) इस योजना के अधीन प्रदूषण जांच केन्द्र अथवा प्रदूषण नियत्रंण उपकरण फिटेड मोटरयान के रुप में अधिकृत करने हेतु आवेदक द्वारा संबंधित जिले के जिला परिवहन अधिकारी के समक्ष प्ररुप 1 में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन–पत्र में पेट्रोल चलित अथवा डीजल चलित या दोनों प्रकार के वाहनों की जांच के लिये चाहे गये

केन्द्र का उल्लेख किया जायेगा। आवेदन–पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज भी संलग्न किये जायेंगे :–

(क) पेट्रोल पम्प की स्थिति में संबंधित पैट्रोलियम कम्पनी का अनुशंसा पत्र अथवा अधिकृत वाहन डीलर या अधिकृत वर्कशॉप की स्थिति में ऐसी वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति अथवा प्रदूषण जांच उपकरण की निर्माता कम्पनी के अधिकृत डीलर या एजेन्ट की स्थिति में ऐसी निर्माता कम्पनी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति, मोबाइल प्रदूषण जांच केन्द्र की स्थिति में आवेदन के नाम पंजीकृत एवं प्रदूषण जांच मशीन से सुसज्जित वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।

(ख) गैस ऐनेलाईजर या स्मोक मीटर, जो केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 115 एवं 116 की अपेक्षाओं के अनुरुप हों, के क्रय के दस्तावेजों की प्रतियां।

अथवा

इस आशय की अण्डरटेकिंग कि प्राधिकार–पत्र जारी होने के 15 दिन के भीतर वह उक्त उपकरण क्रय कर दस्तावेजों की प्रतियां संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देगा।

(ग) मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्रीधारक बेरोजगार आवेदकों को डिप्लोमा/डिग्री की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर जिला परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र प्ररुप '2' में जारी किया जायेगा।

(iii) प्राधिकृत पत्र प्रदान करने की फीस 5000/– रुपये प्रति केन्द्र अर्थात् डीजल चलित एवं पेट्रोल चलित वाहनों के लिए पृथक्–पृथक् प्रभारित की जाएगी। यदि एक ही आवेदक द्वारा डीजल चलित एवं पेट्रोल चलित वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए आवेदन किया जाता है तो डीजल चलित व पेट्रोल चलित वाहनों की जांच के लिए पृथक्–पृथक् प्राधिकार पत्र जारी किये जाएंगे। पेट्रोल चलित वाहनों की प्रदूषण जांच करने वाले केन्द्र सी.एन.जी. व एल.पी.जी. चलित वाहनों की प्रदूषण जांच भी कर सकेंगे।

(iv) राज्य सरकार जिले में रजिस्ट्रीकृत मोटरयानों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में प्रदूषण जांच केन्द्रों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर सकेंगी।

4. प्राधिकार पत्र की समयावधि एवं नवीनीकरण –

(i) प्रदूषण जांच केन्द्र के लिए जारी किया गया प्राधिकार पत्र दो वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दो वर्ष की कालावधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(ii) प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण हेतु 5000/– रुपये फीस देय होगी। नवीनीकरण आवेदन निर्धारित फीस के साथ प्राधिकार पत्र की अवधि के समाप्त होने के 30 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा। समयावधि के समाप्त होने के पश्चात् प्राधिकार पत्र स्वतः समाप्त माना जायेगा। बिना नवीनीकरण कराये गये यदि कोई प्रमाणपत्र जारी किया जाता है तो वह अवैधानिक माना जायेगा तथा प्रदूषण जांच केन्द्र के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा अन्य नियमों के अंतर्गत पुलिस कार्यवाही की जा सकती है एवं जांच केन्द्र को ब्लैक लिस्ट किया जाकर सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जा सकेगी।

(iii) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी प्रदूषण जांच केन्द्र को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित में दिये गये कारण/कारणों से जांच केन्द्र के प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण से इन्कार किया जा सकता है।

(iv) प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र का स्वामी अपना प्राधिकार पत्र किसी भी समय जिला परिवहन अधिकारी को समर्पित कर सकेगा और ऐसे समर्पण के दिनांक से वह प्राधिकार पत्र निरस्त माना जायेगा परन्तु प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा जमा करायी गयी कोई राशि वापिस नहीं की जायेगी और जारी किये जाने वाले प्रदूषण प्रमाण पत्र मयस्टीकर (अनुपयोगी) को संबंधित परिवहन कार्यालय मे वापस लौटाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(v) प्राधिकार पत्र की डुप्लीकेट प्रति जारी करना – प्रदूषण जांच केन्द्र को पूर्व में जारी प्राधिकार पत्र कट–फट जाने, नष्ट हो जाने या खो जाने पर जांच केन्द्र के स्वामी द्वारा 100 रू. के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने एवं 2000 रू. फीस जमा कराने पर डुप्लीकेट प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा।

(vi) प्रदूषण जांच केन्द्रों को प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण निर्धारित तिथि से पूर्व ही कराने का प्रावधान है। कतिपय कारणों से निर्धारित तिथि तक नवीनीकरण नहीं कराने की स्थिति में 1000/– प्रतिमाह या उसके भाग के लिए विलम्ब शुल्क सहित प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण कराया जा सकता है।

5. प्राधिकार पत्र का निलंबन/रद्दकरण एवं शास्तिः–

(i) यदि जिला परिवहन अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि इस योजना के अधीन प्राधिकृत कोई प्रदूषण जांच केन्द्र, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों तथा प्राधिकार पत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं करता है तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच, जैसा कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् और प्राधिकार पत्र धारक को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा प्राधिकार पत्र को निलम्बित/ रद्द कर सकेंगे अथवा निम्नांकित अनियमितताओं के लिये निम्नलिखित सारणी में वर्णित शास्ति आरोपित कर सकेंगे अथवा प्राधिकार–पत्र निलम्बित/रद्द करने के साथ–साथ शास्ति भी आरोपित कर सकेंगे।

सारणी

क्र.सं.	अनियमितताओं का ब्यौरा	न्यूनतम शास्ति (रु. में) प्रथम अवसर पर	अधिकतम शास्ति (रु. में) पश्चात्वर्ती अनियमितता पर
1	2	3	4
(i)	जांच केन्द्र के प्राधिकृत किये जाने का प्रमाण–पत्र सहज दृश्य स्थान पर नहीं लगाना।	500/–	1000/–
(ii)	वाहन जनित प्रदूषण के निर्धारित मानकों को बड़े अक्षरों मे सहज दृश्य स्थान पर नहीं लगाना।	500/–	1000/–
(iii)	जांच केन्द्र के कार्यकारी समय व साप्ताहिक अवकाश के दिवस की सूचना सहज दृश्य स्थान पर नहीं लगाना। (प्रतिदिन कार्य का	500/–	1000/–

क्र.सं.	अनियमितताओं का ब्यौरा	न्यूनतम शास्ति (रु. में) प्रथम अवसर पर	अधिकतम शास्ति (रु. में) पश्चात्वर्ती अनियमितता पर
	न्यूनतम समय आवश्यक रूप से 10 बजे प्रातः 5 बजे सांय तक रखा जायेगा।)		
(iv)	प्राधिकार पत्र में दिये गये कार्य स्थल में जिला परिवहन अधिकारी की अनुमति के बिना परिवर्तन करना।	2500/–	5000/–
(v)	जांच हेतु आने वाले सक्षम अधिकारियों को वांछित रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाना।	2500/–	5000/–
(vi)	वाहन जो प्रदूषण जांच केन्द्र पर आता है, उसके चालक के चाहने पर प्रदूषण की जांच से इनकार करना या जांच में सही पाये जाने पर भी प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करना।	500/–	1000/–
(vii)	वाहन का बिना निरीक्षण किये या प्रदुषण स्तर निर्धारित मापदण्ड से अधिक होने पर भी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करना।	2500/–	5000/–
(viii)	प्रदूषण जांच केन्द्र पर वाहनों की प्रदूषण जांच हेतु अधिकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति से जांच कार्य कराना।	2500/–	5000/–
(ix)	विभागीय निर्देशों के अनुसार निर्धारित सूचना निर्धारित समय पर प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत नहीं करना।	1250/–	2500/–
(x)	प्रदूषण जांच के लिए वाहनों के स्वामियों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल करना।	5000/–	10000/–
(xi)	REIL द्वारा आंवटित स्टेशनरी से भिन्न प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अथवा स्टीकर वाहन स्वामी को जारी करना।	5000/–	10000/–
(xii)	प्रदूषण–जांच यंत्र का समुचित रख रखाव नहीं करना एंव खराब प्रदूषण जांच यंत्र से जांच कार्य करना।	5000/–	10000/–

(ii) उपरोक्त सारणी में वर्णित शास्ति प्रत्येक अनियमितता के लिये पृथक–पृथक होगी, लेकिन एक निरीक्षण के समय पाई गई सभी

प्रकार की अनियमिताओं के लिये शास्ति की कुल राशि 25,000/– से अधिक नहीं होगी।

(iii) अनियमितताओं की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदूषण जांच केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध संबधित नियमों के तहत् अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जा सकेगा।

(iv) प्रदूषण जांच केन्द्र की कार्यप्रणाली के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर या औचक निरीक्षण के समय या अन्यथा यदि विभाग के किसी निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा अचानक निरीक्षण के समय किसी वाहन की जांच हेतु प्रदूषण जांच केन्द्र को कोई शुल्क अदा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह शुल्क प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा ऐसे निरीक्षणकर्ता अधिकारी को लौटाया जायेगा। इस विषय में कार्यवाही विवरण में भी अभिलिखित किया जायेगा।

(v) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही अथवा निर्णय से यदि प्रदूषण जांच केन्द्र सहमत नही है तो 30 दिन की अवधि के भीतर वह उस क्षेत्र के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को अपील कर सकेगा। यदि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा अपील में पारित किये गये निर्णय से भी प्रदूषण जांच केन्द्र संतुष्ट नही है तो इस निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के भीतर परिवहन आयुक्त के समक्ष अपील की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में अपील दायर करने से हुए विलम्ब के लिये अपीलीय अधिकारी विलम्ब को क्षमा (Condone) कर सकेगें, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

6. अपीलीय प्राधिकारी एवं अपील की प्रक्रिया–

(i) **अपीलीय प्राधिकारी** – राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना– 2017 की धारा 4 (iii) एवम् धारा 5 के अन्तर्गत नवीनीकरण से इंकार करने, निलम्बन करने अथवा लाईसेंस रद्द करने की स्थिति में अपील सुनने का प्राधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी होगा। द्वितीय अपील अथवा रिविजन परिवहन आयुक्त द्वारा सुनी जायेगी। इस संबंध में परिवहन आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

(ii) **अपील की प्रक्रिया** – अपील एक ज्ञापन के रूप में दो प्रतियाँ में होगी, जिसमें जिला परिवहन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध एतराज के आधार दिये जायेगें और उसके साथ वह आदेश जिसके विरुद्ध,

अपील की गई है, की मूल प्रति या प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। अपील हेतु रुपये 500/– फीस देय होगी।

7. प्रदूषण नियत्रंण जांच प्रमाण पत्र –

(i) पेट्रोल वाहनों की प्रदूषण जांच हेतु प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र पेट्रोल/एल.पी.जी./सी.एन.जी. चलित वाहनों के लिये प्रदूषण नियत्रंण जांच प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे तथा डीजल वाहनों की प्रदूषण जांच हेतु प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र डीजल चलित वाहनों के लिये प्रदूषण नियत्रंण जांच प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे जो 6 माह के लिये विधिमान्य होगा परन्तु BS4 श्रेणी के वाहनों हेतु जारी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए विधिमान्य होगा।

(ii) प्रदूषण नियत्रंण प्रमाण पत्र एवं स्टीकर जारी करने के लिये प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र का स्वामी यान के स्वागी से offline प्रमाण पत्र जारी किये जाने की स्थिति में निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित करेगा –

(क) पेट्रोल चलित दुपहिया वाहनों के लिये प्रति वाहन 30/– रू.

(ख) पेट्रोल चलित तिपहिया वाहनों के लिये प्रति वाहन 40/– रू.

(ग) पेट्रोल चलित चौपहिया वाहनों के लिये प्रति वाहन 40/– रू.

(घ) डीजल चलित समस्त वाहनों के लिये प्रति वाहन 65/– रू.

Offline प्रमाण पत्र इस योजना के जारी किए जाने की तिथि से 3 माह तक ही जारी किए जा सकेंगे एवं विलम्ब होने पर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

प्रमाण पत्र एवं स्टीकर जारी करने के लिये प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र का स्वामी यान के स्वामी से online प्रमाण पत्र जारी किये जाने की स्थिति में निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित करेगा–

वाहन की श्रेणी	निर्धारित दरें
पेट्रोल चलित दोपहिया वाहन	50 रुपये
तिपहिया वाहन (पेट्रोल/एल.पी.जी./सी.एन.जी.)	70 रुपये
चार–पहिया वाहन (पेट्रोल/एल.पी.जी./सी.एन.जी.)	70 रुपये
डीजल वाहन	100 रुपये

किसी भी जिले में कार्यरत प्रदूषण जांच केन्द्र परिवहन आयुक्त के निर्देशों के उपरान्त केवल online प्रमाण पत्र ही जारी कर सकेंगे।

(iii) यदि जांच में प्रदूषण स्तर निर्धारित मानक सीमा से अधिक आता हो तो ऐसे वाहन की जांच की निर्धारित फीस ही वसूल की जाएगी तथा वाहन स्वामी को Rejection slip जारी की जाएगी।

(iv) प्रदूषण नियत्रंण प्रमाण पत्र के साथ स्टीकर भी जारी किये जायेंगे। इन स्टीकर्स को चार पहिया/तिपहिया यान के विन्डस्क्रीन पर लगाया/चिपकाया जा सकेगा। दुपहिया वाहन में स्टीकर वाहन की बॉडी के सामने के भाग पर लगाया/चिपकाया जा सकेगा।

8. प्रदूषण जांच केन्द्रों का निरीक्षण –

(i) प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रदूषण जांच केन्द्र का वर्ष में कम से कम दो बार आवश्यक रूप से निरीक्षण किया गया हो। निरीक्षण कार्य परिवहन विभाग के किसी भी अधिकारी, जो परिवहन उप निरीक्षक से अनिम्न न हो, द्वारा किया जा सकेगा और ऐसे प्रत्येक निरीक्षण की निरीक्षण रिपोर्ट संबंधित जिला/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को भिजवाई जायेगी।

(ii) निरीक्षण अधिकारी, निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम तथा तत्सम्मत् नियमों और प्राधिकार पत्र की शर्तों का अनुपालन, प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा किया जा रहा है या नहीं।

9. प्रदूषण जांच केन्द्रों द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली स्टेशनरी –

(i) विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रदूषण जांच प्रमाण–पत्र, स्टीकर आदि स्टेशनरी REIL द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी जो अधिकृत किये गये जांच केन्द्रों को उसके द्वारा गैस ऐनेलाईजर/स्मोक मीटर के Protocol matching के पश्चात् आंवटित की जायेगी। ऑफलाईन प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र हेतु प्रि–प्रिन्टेड प्रमाण पत्र/स्टेशनरी REIL द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ii) प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने, रसीद जारी करने आदि के लिये REIL द्वारा आवंटित स्टेशनरी ही प्रयुक्त की जायेगी।

(iii) स्टीकर एंव प्रमाण–पत्र के प्रारूप electronic numbering द्वारा क्रम संख्याकित होगें।

(iv) जांच किये गये वाहनों के विवरण को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन संधारण किया जायेगा।

(v) प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा स्टेशनरी की आवश्यक मांग REIL को 2 सप्ताह पूर्व सूचित करनी होगी।

(vi) REIL द्वारा प्रदूषण जांच केन्द्रों को जारी की गई स्टेशनरी की मासिक सूचना आयुक्त परिवहन विभाग को प्रारूप–4 में ई–मेल द्वारा प्रेषित की जायेगी।

10. वाहनों की प्रदूषण जांच की प्रगति रिपोर्ट –

REIL एवं प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा प्रत्येक माह की समाप्ति के 10 दिन के भीतर समय–समय पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में संकलित सूचना प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी को ई–मेल द्वारा भिजवाई जायेगी और REIL द्वारा संकलित जिलेवार सूचना परिवहन आयुक्त को प्रतिमाह प्रेषित की जायेगी।

11. प्रदूषण जांच कार्य के लिये अधिकृत व्यक्ति –

(i) गैस एनेलाईजर या स्मोक मीटर से जांच का कार्य प्रदूषण जांच केन्द्र पर कार्यरत केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा ही किया जायेगा जो इस कार्य के लिये समूचित प्रशिक्षण प्राप्त है तथा बिंदू संख्या 2(ii) में निर्धारित योग्यता रखता है।

(ii) प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा जारी किये जाने वाले प्रत्येक प्रमाण–पत्र पर उस अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे जिसके नमूने के हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय को प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा पूर्व में ही उपलब्ध कराये जा चुके है।

(iii) प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर और जांच कार्य करने के पूर्व जांच केन्द्र द्वारा अधिकतम तीन व्यक्तियों के नाम एवं उनके नमूने के हस्ताक्षर प्रारूप–3 में 3 प्रतियो में प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे।

(iv) प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा अधिकृत व्यक्तियों की सूची में कोई परिवर्तन किये जाने की स्थिति में शामिल किये गये व्यक्ति के नमूने के हस्ताक्षर और नाम तथा हटाये गये व्यक्ति के नाम की सूचना प्राधिकृत अधिकारी को अविलम्ब दी जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किये बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रमाण –पत्र जारी किये

जाने पर वह वैध नही माना जायेगा। प्रदूषण जांच केन्द्र को अधिकृत व्यक्तियो की सूची एवं उनके नमूने के हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने का प्रमाण अपने पास उपलब्ध रखना होगा।

(v) प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा प्रमाण पत्र व स्टीकर की सभी प्रविष्टियां ऑनलाईन होगी, और कोई अधूरा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

(vi) प्रदूषण जांच केन्द्र विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में कोई

(vii) प्रमाण पत्र जारी नही किया जायेगा।

12. वाहनों के प्रदूषण जांच की प्रक्रिया–

(i) प्रदूषण जांच करने हेतु वाहन स्वामी द्वारा प्रदूषण जांच केन्द्र अथवा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण फिटेड मोटरयान पर वाहन प्रस्तुत करना होगा। जांच केन्द्र द्वारा गैस एनेलाइजर या स्मोक मीटर से वाहन के प्रदूषण स्तर की जांच की जायेगी। यदि माप अधिकतम उत्सर्जन प्रदूषण सीमा (prescribed emission norms) तक है तो निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र जो क्रम संख्यांकित होगा, जारी किया जायेगा जिसके साथ प्रदूषण स्तर की माप का प्रिन्ट भी प्रमाण पत्र पर उल्लेखित किया जायेगा। प्रमाण पत्र पर जांच केन्द्र की कोड संख्या अंकित की जायेगी। प्रमाण पत्र की प्रति वाहन स्वामी को दी जायेगी।

(ii) जांच केन्द्र द्वारा प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर जांच किये गये वाहन पर स्टीकर भी लगाया जायेगा।

(iii) प्रमाण पत्र और स्टीकर जारी करने से पूर्व जांच केन्द्र द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वाहन का प्रदूषण स्तर नियम 115 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

(iv) यदि वाहन में उत्सर्जित प्रदूषण अधिकतम सीमा से अधिक है तो प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा वाहन के फ्यूल मिक्सचर का एडजेस्टमैन्ट किया जायेगा, इसके लिये पृथक से कोई फीस नहीं ली जायेगी। यदि इसके उपरान्त भी प्रदूषण का स्तर निर्धारित मानक सीमा से अधिक आता हो तो ऐसे वाहन की जांच की निर्धारित फीस ही वसूल की जायेगी तथा वाहन स्वामी को Rejection slip जारी की जायेगी। जांच की तारीख के अगले 7 दिवस में किसी भी प्रदूषण जांच केन्द्र पर वाहन की प्रदूषण जांच कराया जाना आवश्यक होगा, जिसकी पूरी फीस देय होगी।

(v) प्रदूषण जांच केन्द्र के परिसर में मोटर वाहनों के अन्दर आने और बाहर जाने हेतु समुचित व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि परिसर के आस–पास सार्वजनिक मार्ग पर यातायात अवरूद्ध ना हो तथा परिसर के अन्दर वाहनों के प्रदूषण संबंधी जांच क्रमानुसार सुविधा पूर्वक संपन्न हो सके। प्रदूषण संबंधी जांच सार्वजनिक मार्ग पर नहीं होकर जांच केन्द्र के परिसर में ही की जायेगी।

(vi) यदि प्राधिकार–पत्र निरस्त अथवा निलंबित कर दिया जाता है तो वाहन को प्रमाण–पत्र एवं स्टीकर जारी करने का कार्य प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा तत्काल बंद कर दिया जायेगा।

13. प्रमाण पत्र धारी वाहनों की पुनः जांचः–

(i) प्रथम दृष्टया अधिक धुआँ छोड़कर चलते पाये जाने वाले प्रमाण पत्र धारी किसी वाहन की प्रदूषण संबंधी पुनः जांच पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारियों के निर्देश पर मौके पर की जा सकेगी। ऐसी पुनः जांच में वाहन का प्रदूषण स्तर यदि निर्धारित मानकों से अधिक पाया जाता है तो निरीक्षणकर्ता अधिकारी उक्त वाहन का प्रमाण पत्र निरस्त कर देगा तथा प्रमाण पत्र पर ही इस आशय का तिथि सहित अंकन करेगा। प्रमाण पत्र के पीछे की ओर वाहन स्वामी को निर्देश भी अंकित किया जायेगा कि वाहन स्वामी अधिकतम 7 दिवस की समायवधि में वाहन का प्रदूषण स्तर सही कराकर पुनः वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करें तथा प्रमाण पत्र संबंधित जिला परिवहन अधिकारी के सक्षम प्रस्तुत करें। यदि वाहन चालक/यान का स्वामी निर्धारित समय अवधि (7 दिन में) वैध प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसे वाहन को 115(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए (deemed violation) निर्धारित शास्ति पंजीयन अधिकारी द्वारा आरोपित की जायेगी।

(ii) प्रमाण–पत्र धारी वाहन यदि उप पैरा (i) के अंतर्गत मौके पर जांच के समय प्रदूषण स्तर के निर्धारित मानकों के अनुरुप पाये जाने अथवा नहीं पाये जाने की स्थिति में कोई अतिरिक्त राशि वसूल नहीं की जायेगी।

14. प्रदूषण जांच उपकरणों का समूचित रख–रखाव :–

(i) जांच केन्द्र द्वारा प्रदूषण जांच संबंधी उपकरण सही स्थिति में रखे जायेगे। यदि किसी समय गैस एनेलाइजर/स्मोक मीटर आदि उपकरण नियमों की अपेक्षाओं के अनूरूप न हो तो वाहनों के प्रदूषण

जांच का कार्य निलंबित कर दिया जायेगा एवं वाहनों का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

(ii) प्रदूषण जांच उपकरण सही रूप से कार्यरत रहे, यह सुनिश्चित करने के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र को गैस एनेलाइजर/स्मोक मीटर के समुचित रख–रखाव हेतु संबंधित उपकरण निर्माता कम्पनी से विधिवत अनुबन्ध करना होगा।

15. **प्राधिकार–पत्र को स्वीकृत या नवीनीकरण करने की फीस तथा शास्ति की राशि का राजकोष में जमा कराना–** प्रदूषण जांच केन्द्र को स्वीकृत करने के लिए धारा 3 की उप धारा (iii) के अन्तर्गत जमा करायी गयी फीस अथवा नवीनीकरण के लिए धारा 4 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत जमा करायी गयी फीस अथवा धारा 5 के अन्तर्गत वसूल की गयी शास्ति की राशि को राजकोष (मद 0041–वाहन कर) में ई–ग्रास/Internet Banking के माध्यम से जमा कराया जायेगा।

16. **वाहन निर्माता का अधिकृत वर्कशॉप/डीलर/पेट्रोल पम्प पर प्रदूषण जांच –**

(i) विभाग द्वारा अधिकृत वाहन डीलर्स, जिन पर वाहन निर्माता वर्कशॉप उपलब्ध है, को प्रदूषण जांच केन्द्र का प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। नये स्थापित होने वाले वाहन डीलर्स, जिनके द्वारा ट्रेड सर्टिफिकेट हेतु आवेदन किया गया है, को आवेदन के साथ अधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र की मान्यता का अधिकार पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। वर्तमान में कार्यरत वाहन डीलर्स, जिनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है, को ट्रेड सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के समय प्रदूषण जांच केन्द्र का अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) वाहन निर्माता के अधिकृत वाहन डीलर्स, जिनके पास वाहन निर्माता का अधिकृत वर्कशॉप उपलब्ध है, को सर्विस हेतु आने वाले प्रत्येक वाहन की प्रदूषण जांच किया जाना अनिवार्य होगा। प्रदूषण जांच में उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। पूर्व में वैध प्रदूषण जांच प्रमाण होने की स्थिति में केवल प्रदूषण जांच ही की जायेगी परन्तु इस जांच में उपयुक्त नहीं पाये जाने की स्थिति में वाहन का उपयुक्त रख–रखाव कर नवीन प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। इसमें वाहन रिपेयर पर होने वाला खर्चा वाहन स्वामी द्वारा संबंधित सर्विस सेन्टर को देना होगा।

(iii) वाहन निर्माता के अधिकृत वाहन डीलर्स को उनके अधीन कार्यरत समस्त सर्विस सेन्टरों में यह सुविधा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

(iv) पेट्रोल वाहनों के अधिकृत वाहन डीलर के लिए पेट्रोल वाहनों की जांच हेतु प्रदूषण जांच केन्द्र का प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा डीजल वाहनों के लिए डीजल वाहन की जांच का प्राधिकार पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे वाहन डीलर, जहां पेट्रोल एवं डीजल दोनों प्रकार के वाहनों हेतु वाहन निर्माता का अधिकृत वर्कशॉप है, को पेट्रोल एवं डीजल दोनों प्रकार के वाहनों हेतु प्रदूषण जांच केन्द्र का प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(v) ऐसे पेट्रोल पम्प, जहां वाहनों के रख–रखाव की सुविधा भी उपलब्ध है, पर प्रदूषण जांच हेतु आने वाले वाहनों के जांच में उपयुक्त नहीं पाये जाने की स्थिति में वाहन का उपयुक्त रख–रखाव कर प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। इसमें वाहन रिपेयर पर होने वाला खर्चा वाहन स्वामी द्वारा संबंधित सर्विस सेन्टर को देना होगा।

17. **शिकायत/सुझाव** –

(i) प्रदूषण जांच व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से शिकायत पंजिका के साथ ही कोई भी शिकायत App के माध्यम से भी दर्ज की जा सकेगी। प्राप्त शिकायतों की जांच विभागीय निरीक्षक/उपनिरीक्षक से कराई जायेगी। शिकायत सही पाई जाने पर प्रदूषण जांच केन्द्र के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ii) वाहन स्वामी द्वारा सुझाव App के माध्यम से भी दर्ज कराया जा सकेगा।

18. **प्रदूषण जांच उपकरण निर्माता को पूर्वानुमति प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता**:– राज्य में कार्यरत प्रत्येक प्रदूषण जांच उपकरण निर्माता कम्पनी को विभिन्न मॉडल्स हेतु ऑनलाईन सॉफ्टवेयर से प्रोटोकॉल मेचिंग कराया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु प्रदूषण जांच उपकरण निर्माता कम्पनी को जांच केन्द्र पर उपकरणों को स्थापित करने हेतु परिवहन विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदूषण जांच केन्द्रों पर स्थापित किये जाने वाले उपकरणों के प्रत्येक मॉडल की परिवहन विभाग से पूर्वनुमति प्राप्त की गई हो। यह पूर्वानुमति परिवहन आयुक्त द्वारा समय–समय पर प्रदत्त निर्देशों के अनुसार जारी की जायेगी।

19. **निर्देशों का पालन–** राज्य सरकार अथवा परिवहन आयुक्त इस आदेश के सुचारू रूप से संचालन की दृष्टि से प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्रों को समय–समय पर आवश्यक निर्देश दे सकेंगें और ऐसे प्रसारित निर्देशों का पालन प्रदूषण जांच केन्द्र के लिये बाध्यकारी होगा।

20. **अनुदेश तथा निर्देश जारी करने की परिवहन आयुक्त की शक्तिः–** परिवहन आयुक्त निम्न बिन्दुओं के संबंध में अनुदेश तथा निर्देश जारी कर सकेंगे–

(i) इस आदेश के उपबंधों मे से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिए,

(ii) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए जो किन्ही ऐसे उपबंधों के क्रियान्वयन के संबंध मे उत्पन्न हो, तथा

(iii) प्रदूषण जांच केन्द्र के रूप में प्राधिकृत करने के सम्बन्ध में जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबन्ध नही है या अपर्याप्त है, तथा जिसके लिए उपबन्ध करना आवश्यक समझा जाये।

21. **प्रदूषण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता :–**

परिवहन कार्यालयों में वाहनों से संबंधित किसी भी कार्य यथा फिटनेस, पुनः पंजीयन, हस्तान्तरण, हायर परचेज एग्रीमेंट (Endorsement/ Termination), नवीनीकरण, डूप्लीकेट, पता बदलना, NOC आदि कार्यों के लिए वैध प्रदूषण नियत्रंण प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। इस प्रमाण पत्र की संख्या एवं वैधता का इन्द्राज VAHAN Software के फॉर्म 23A में इन्द्राज किया जाना अनिवार्य होगा।

22. **समस्त वाहनों की प्रदूषण जांच हेतु कार्यवाही :–**

(i) प्राधिकृत अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में समस्त वाहनों की नियमानुसार प्रदूषण जांच सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु प्रदूषण नियत्रंण उड़नदस्तों का अधिकतम उपयोग करेंगे।

(ii) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समस्त वाहनों की प्रदूषण जांच सुनिश्चित करने हेतु तहसील मुख्यालय या पंचायत समिति मुख्यालय अथवा किसी भी विशिष्ट स्थान पर वाहनों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मोबाईल वैन के स्वामी को निर्देश दिए जा सकेंगे, जो बाध्यकारी होगा।

23. **वाहन की नियमित प्रदूषण जांच नहीं कराने वाले वाहनों पर पेनल्टीः–** प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र को निर्धारित समायवधि में नवीनीकरण नहीं कराने पर

निर्धारित फीस के साथ पेनल्टी राशि भी देय होगी जो कि निम्नानुसार होगी:–

वाहन की श्रेणी	विलम्ब अवधि	
	एक माह तक	एक माह से अधिक
दोपहिया वाहन	200/–	500/–
चौपहिया वाहन	500/–	1000/–

यह पैनेल्टी राशि सम्बन्धित जिले के वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्रों को ऑनलाईन किए जाने की तिथि से एक माह पश्चात् देय होगी। इस पैनेल्टी राशि का भुगतान परिवहन आयुक्त द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

24. शर्तें:–

(i) प्रदूषण जांच केन्द्र को मोटरयान अधिनियम, 1988, इसके अधीन बने नियमों तथा परिवहन विभाग के द्वारा जारी राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना– 2017 की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(ii) प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा यह प्राधिकार पत्र वाहन स्वामियों अथवा तत्समय प्रवृत किसी अन्य कानून अथवा विभाग के द्वारा जारी राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना– 2017 के अधीन केन्द्र के परिसर की जांच करने के लिए अधिकृत जांच/निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) प्रदूषण जांच केन्द्र को प्रदूषण जांच यंत्र क्रय करने की रसीद की फोटो प्रति प्राधिकार पत्र जारी होने के 15 दिन की अवधि में संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

(iv) प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा केवल वही गैस एनेलाइजर/स्मोक मीटर प्रदूषण जांच में प्रयुक्त किये जायेगें जो केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 116 के अन्तर्गत अधिकृत संस्था से अनुमोदित हो।

(v) प्रदूषण जांच केन्द्रों द्वारा विभाग से अधिकृत एवं REIL द्वारा जारी की गयी स्टीकर एवं अन्य सम्बन्धित स्टेशनरी प्रयुक्त करेगा। ऑफलाईन प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु स्टेशनरी भी REIL द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी। यह स्टेशनरी योजना के जारी

होने की तिथि से 3 माह अथवा परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार अवधि तक ही उपलब्ध करवाई जायेगी।

(vi) वाहन की जांच के बाद जारी प्रमाण पत्र में उत्सर्जित गैस का प्रिन्टेड विवरण भी दर्ज होगा।

(vii) परिवहन विभाग द्वारा निर्देशित किये जाने पर प्राधिकृत जांच केन्द्र को अपने तकनीकी कर्मचारियों को किसी विहित संस्थान में जांच केन्द्र के व्यय पर प्रशिक्षण प्राप्त कराना होगा।

(viii) प्राधिकृत जांच केन्द्र समय–समय पर वाहन स्वामियों की जानकारी हेतु वाहन प्रदूषण नियत्रंण से संबंधित वस्तु परख पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाया जायेगा।

(ix) प्राधिकृत जांच केन्द्र के परिसर में मोटरयानों के अन्दर आने और बाहर जाने हेतु समुचित व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि परिसर के आसपास सार्वजनिक मार्ग पर यातायात अवरूद्ध ना हो तथा परिसर के अन्दर वाहनों की प्रदूषण संबंधी जांच क्रमानुसार सुविधापूर्वक सम्पन्न हो सके। प्रदूषण संबंधी जांच सार्वजनिक मार्ग पर नहीं की जायेगी। यह जांच प्राधिकृत एजेन्सी के परिसर में ही की जायेगी।

(x) यदि किसी समय गैस एनेलाइजर/स्मोक मीटर आदि उपकरण केन्द्रीय मोटरयान नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप चालू हालत में न हों तो मोटरयानों की जांच का कार्य निलंबित कर दिया जायेगा और वाहन स्वामियों को प्रमाणपत्र जारी नही किये जायेंगे।

(xi) गैस एनेलाइजर/स्मोक मीटर से जांच का कार्य केवल इस बाबत प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी द्वारा ही किया जायेगा और प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर केवल उस अधिकृत व्यक्ति द्वारा किये जाएगें जिसके नमूने के हस्ताक्षर क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी को पूर्व में ही उपलब्ध कराये जा चुके हों।

(xii) यदि प्रमाण पत्र जारी करने के लिए व्यक्ति द्वारा प्रदूषण जांच केन्द्र की सेवा से त्यागपत्र दे दिया जाता है अथवा प्रदूषण जांच केन्द्र अधिकृत व्यक्ति में परिवर्तन करता है तो तत्काल ही संबंधित प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय में सूचना दी जायेगी।

(xiii) प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व सभी अपेक्षित प्रविष्टियों को पूर्ण किया जायेगा और कोई अधूरा प्रमाण पत्र जारी नही किया जायेगा।

(xiv) प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा केवल ऐसे वाहनों को जांच के उपरांत प्रमाण पत्र जारी किये जा सकेंगे जो केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 115 के प्रावधानों के अनुरूप हो, ऐसे किसी भी वाहन को जो नियम, 115 के उपबन्धों के अनुरूप न हो, प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

(xv) प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप पर कोई प्रमाण पत्र जारी नही किया जायेगा।

(xvi) प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा वाहन स्वामी से प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित फीस की राशि ही वसूली की जायेगी। प्राप्त की जाने वाली फीस की राशि प्रमाण पत्र पर अंकित की जायेगी।

(xvii) प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा प्रत्येक माह संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को समय–समय पर निर्धारित प्रारुप में ई–मेल द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों का विवरण भिजवाया जायेगा।

(xviii) वाहन स्वामियों की शिकायत/सुझाव App के माध्यम से भी दर्ज किये जा सकेंगे।

(xix) प्राधिकृत जांच केन्द्र के द्वारा परिसर के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को निरीक्षण हेतु आवश्यक अभिलेख एवं सहयोग दिया जायेगा।

(xx) यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत पत्र निरस्त/निंलबित कर दिया जाता है तो वाहनों को प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य तत्काल बंद कर दिया जायेगा।

(xxi) राज्य सरकार अथवा परिवहन आयुक्त इस योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन की दृष्टि से प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्रों को समय–समय पर आवश्यक निर्देश दे सकेगें, ऐसे प्रसारित निर्देशों का पालन बंधनकारी होगा।

(xxii) मोबाईल प्रदूषण जांच केन्द्र के वाहन पर जी.पी.एस. लगाया जाना अनिवार्य होगा। यह जी.पी.एस. परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लगवाया जायेगा। इन वाहनों की मोनिटरिंग विभाग द्वारा भी जी.पी.एस. के माध्यम से की जा सकेगी। प्रदूषण जांच मोबाईल वैन का कार्यक्षेत्र निर्धारित करने हेतु जी.पी.एस. के माध्यम से geo-fencing भी सुनिश्चित की जायेगी।

(xxiii) मोबाईल प्रदूषण जांच केन्द्र किसी भी पेट्रोल पम्प/वाहन निर्माता वर्कशॉप स्थित अधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र के नजदीक 500 मीटर की परिधि में प्रदूषण जांच का कार्य नहीं कर सकेंगे।

(xxiv) जांच केन्द्र पर कार्यरत अधिकृत व्यक्ति के पहचान पत्र की प्रति संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी, जो जांच केन्द्र के निरीक्षण के समय प्रस्तुत करनी होगी।

(xxv) प्रदूषण जांच केन्द्र पर प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित राशि के भुगतान हेतु cashless सुविधा भी रखा जाना आवश्यक होगा।

(xxvi) प्रदूषण जांच केन्द्रों द्वारा प्रत्येक जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु REIL को prepaid electronic system द्वारा परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा। यह दर डीजल/पेट्रोल/एल.पी.जी./सी.एन.जी. वाहनों हेतु जारी किए जाने वाले प्रत्येक प्रमाण पत्र हेतु रुपये 8.21 (आठ रुपये इक्कीस पैसे) मात्र होगी।

(xxvii) प्रदूषण जांच केन्द्रों द्वारा वाहन की प्रदूषण जांच में उपयुक्त नहीं पाये जाने वाले वाहनों को rcjection slip जारी की जाएगी। इस जारी की जाने वाली प्रत्येक rejection slip हेतु प्रदूषण जांच केन्द्रों द्वारा 8 रुपये 21 पैसे का REIL को भुगतान किया जायेगा।

(xxviii) मोबाईल प्रदूषण जांच केन्द्र हेतु बंद बॉडी (closed body) का भार वाहन श्रेणी का वाहन आवश्यक होगा। इस वाहन में बॉडी की बाईं ओर से खुलने की व्यवस्था होना आवश्यक होगा।

(xxix) SMS द्वारा प्राप्त प्रदूषण नियत्रंण प्रमाण पत्र का ई–सर्टिफिकेट, वाहनों की जांच के दौरान मोबाईल पर दिखाए जाने की स्थिति में भी मान्य होगा।

(xxx) वाहन की नियमित प्रदूषण जांच के प्रति आमजन को जागरुक करने हेतु अलग फण्ड का गठन किया जायेगा। इस फण्ड में प्रति प्रमाण पत्र 50 पैसे की राशि समाहित होगी। इस फण्ड का उपयोग विभाग द्वारा इस संबंध में गठित समिति के माध्यम से किया जा सकेगा।

(xxxi) किसी प्रदूषण जांच केन्द्र को विशेष कारणों से ऑफलाइन प्रदूषण नियत्रंण प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अनुमति परिवहन आयुक्त की पूर्वानुमति द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

प्रारुप – 1
(धारा 3(i) के अंतर्गत)

प्रदूषण जांच केन्द्र के लिए आवेदन का प्रारुप

1. आवेदक एजेन्सी का नाम .....

2. आवेदक एजेन्सी के स्वामी का नाम (पिता/पति का नाम) .....

3. पूर्ण डाक पता.....
.....

4. जांच केन्द्र हेतु क्या पैट्रोलियम कम्पनी ने अनुशंषा की है, अथवा अधिकृत वाहन डीलर अथवा अधिकृत वर्कशॉप के स्वामी है अथवा वाहन प्रदूषण जांच उपकरण निर्माता कम्पनी के अधिकृत डीलर/एजेंट/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्रीधारक बेरोजगार व्यक्ति है? (यदि हां तो, प्रमाण संलग्न करें)

5. आवेदक के पास उपलब्ध मेक और पूर्ण विशिष्टिताओं सहित गैस एनेलाइजर/स्मोक मीटर (ARAI approved) का विवरण :–
   1. .....
   2. .....

   पेट्रोल वाहनों की जांच हेतु

   - गैस एनेलाइजर (उपलब्ध/अनुपलब्ध)
   - ऑक्सीजन सेन्सर (कार्यरत/कार्यरत नहीं)
   - डीजल वाहनों की जांच हेतु स्मोक मीटर (उपलब्ध/अनुपलब्ध)
   - आर.पी.एम. सेन्सर (उपलब्ध/अनुपलब्ध)
   - ऑईल टेम्परेचर मीटर (उपलब्ध/अनुपलब्ध)

6. कम्प्यूटर मय प्रिन्टर सहित निम्न आवश्यकताएं :– (उपलब्ध/अनुपलब्ध)
   - Windows 7 operating system or higher version;
   - MS Office 7 or higher version;
   - Authorised Antivirus ;
   - Working CD Rom Drive;

7. Internet connectivity with minimum 512 kbps speed(उपलब्ध / अनुपलब्ध) (Broadband/datacard etc).

8. वाहनों की सर्विस और ट्यूनिंग के लिए उपलब्ध उपकरण 1. .....

2. .....

वाहनों का वर्ग जिनकी जांच बाबत प्राधिकार पत्र प्राप्त करने का अवेदन किया जा रहा है :– (डीजल चलित अथवा पेट्रोल चलित अथवा दोनों प्रकार) .....

9. आवेदक के अधीन कार्यरत स्टॉफ एवं उसकी योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

(क) मैनेजर .....

(ख) फोरमैन / इंजीनियर .....

(ग) मैकेनिक .....

(घ) हैल्पर .....

(ड़) अन्य प्रशासनिक स्टॉफ .....

10. क्या 10 से 15 वाहन खड़े करने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध है। (रेखा चित्र में भी दर्शाये) .....

11. क्या गैस एनेलाइजर / स्मोक मीटर को चलाने वाला स्टॉफ प्रशिक्षित है (विवरण देवें)। .....

आवेदक के हस्ताक्षर एवं
आवेदक का नाम

प्रारुप – 2
LETTER OF AUTHORITY

[Under Section 3(iii)]

In pursuance of Order No..... Dated ..... and subject to the conditions laid down therein the Letter of Authority is hereby granted to M/s.....

.....

..... as Pollution Checking Centre to issue Pollution Under Control Certificate for Petrol/Diesel/LPG/CNG Vehicles in accordance with provision under Rule 115(7) of the Central Motor Vehicle Rule, 1989. This Letter of Authority is valid upto..... The centre will follow all the provisions laid down in the Motor Vehicle Act and rules made therein and provisions of Rajasthan Motor Vehicle Pollution Check Center scheme, 2017.

Authorised Officer
(District Transport Officer)
Station code No.
Date of Issue
(.....)

Date of Renewal	Receipt No.	Valid upto

प्रारुप – 3
(धारा 12(iii) के अंतर्गत)

अधिकृत व्यक्तियों के नाम एवं नमूने के हस्ताक्षर की सूचना

सेवा में,

प्राधिकृत अधिकारी
(जिला परिवहन अधिकारी)
.....

विषय :– प्रदूषण जांच केन्द्र पर अधिकृत व्यक्तियों की सूचना।

महोदय,

परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक प.23(01)परि/प्र.नि./योजना/2017 दिनांक ..... के पैरा 12(iii) के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि प्रदूषण जांच केन्द्र ..... (कोड नम्बर .....) पर अधिकृत व्यक्तियों के नाम तथा उनके नमूने के हस्ताक्षर निम्न प्रकार है :–

1. श्री ..... के नमूने के हस्ताक्षर
   (1).....(2).....(3).....

2. श्री ..... के नमूने के हस्ताक्षर
   (1).....(2).....(3).....

3. श्री ..... के नमूने के हस्ताक्षर
   (1).....(2).....(3).....

स्थान.....
दिनांक.....

भवदीय,

प्रदूषण जांच केन्द्र
स्वामी का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रारुप – 4

REIL द्वारा प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्रों को जारी स्टेशनरी का विवरण :–

क्र.सं.	प्राधिकृत केन्द्र का नाम, पता	प्राधिकृत केन्द्र के स्वामी का नाम	जारी प्राधिकार पत्र का क्रमांक	प्राधिकार पत्र जारी करने का दिनांक	प्राधिकार पत्र की वैधता	प्राधिकृत केन्द्र को जारी प्रमाण पत्र एवं स्टीकर की संख्या
1	2	3	4	5	6	7